

01-04-25

पमावली पेश इहे। वाही ववाही
अधिवक्ता अनुपरिचय। वाही व
वाही अधिवक्ता को तीन कर आवस
लगायी गयी। परन्तु उपरिचय नही
हए। अतः उउरन खाही को अदम
हासरी व वाही अधिवक्ता को अदम
पैरवी मे खारिज रिवा जाता हौ।
उउरन उँशाप सुभाद हो उर नम्बर से
रुम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मीलवादा